



कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल, रायपुर

(फार्मसी अधिनियम - 1948 की धारा 19 के तहत गठित)

(छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन सांविधिक निकाय)

मकान नम्बर - 40, आनन्द नगर, रायपुर (छ.ग.) 492006

फोन:-0771-2444591, मो.नं.- 94255 05779, ईमेल:- cspcraipur@gmail.com वेबसाईट:- www.cspc.in

कर्मोंक/सी.जी./फार्मा/2025/173

रायपुर, दिनोंक :- 02/07/2025

::- सूचना -::

दिनोंक 02/07/2025

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल के विशेष सम्मिलन दिनोंक 02/07/2025 में लिये गये निर्णयानुसार फार्मासिस्टों के पंजीयन, नवीनीकरण सहित विभिन्न सुविधाओं के लिए पूर्व निर्धारित व दिनोंक 01 जनवरी, 2013 से प्रभावशील शुल्क व्यवस्था में कोविड के समय दिनोंक 02/03/2022 की आम बैठक में 01 अप्रैल, 2022 से नवीनीकरण शुल्क 500/-रु. से घटाकर 300/-रु. किया गया था, जिसे दिनोंक 01 जून, 2025 से पुनः 500/-रु. किया जाता है अर्थात् सभी शुल्क कोविड के पूर्व के समान यथावत् रहेगा तदनुसार सभी शुल्क जो 01 जून, 2025 से प्रभावशील होगा निम्नानुसार है -

S.No.	शुल्क का विवरण	राशि रु.
1	आवेदन शुल्क	100.00
2	पंजीयन शुल्क	1000.00
3	नवीनीकरण शुल्क प्रति वर्ष	500.00
4	डुप्लीकेट प्रमाण पत्र शुल्क	1000.00 (प्रथम प्रति) 2000.00 (द्वितीय प्रति)
5	अतिरिक्त योग्यता जोड़ने का शुल्क	200.00
6	नाम पता परिवर्तन शुल्क	300.00
7	सत्यापन शुल्क	100.00
8	डाक व्यय शुल्क	50.00
9	एन. ओ. सी. शुल्क	1150.00
10	विलम्ब शुल्क प्रति वर्ष	100.00
11	रिस्टोरेशन फीस	500.00

उपरोक्त संशोधित शुल्क पर पृथक से 18 प्रतिशत जी.एस.टी. शुल्क देय होगा।

नोट:- (उपरोक्त शुल्क से अधिक शुल्क जिसे दिनोंक 01 जून, 2025 से 02 जुलाई, 2025 तक लिया गया है, उक्त अधिक शुल्क के वापसी की प्रक्रिया सम्बन्धित सूचना दिनोंक 07 जुलाई, 2025 के बाद प्रसारित की जाएगी।)

[Signature]
02/07/2025

(अश्वनी गुर्देकर)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल
रायपुर (छ.ग.)